तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	निगरानी/टी.ए./2740/2004/नागौर **टोडाराम व अन्य बनाम बालाराम व अन्य**	
	एकल–पीठ **श्री धूकलराम कसवॉ, सदस्य** **उपस्थितः–** (1) श्री योगेन्द्र सिंह अभिभाषक प्रार्थी (2) श्री एस.पी. सिंह अभिभाषक अप्रार्थी **निर्णय दिनांक :** यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के निर्णय दिनांक 20–5–04 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। 2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थीगण वादीगण ने प्रार्थी प्रतिवादी व अन्य के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी परवतसर के न्यायालय में एक नियमित वाद वादपत्र में अंकित आराजी के बाबत प्रस्तुत करते हुये वाद पत्र के साथ अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जिसे विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 12–9–01 के द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर अप्रार्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 20–5–04 के द्वारा अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी के आक्षेपित निर्णय को निरस्त कर अप्रार्थीगण की ओर से अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया। इससे व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। 3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी गई। 4– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपार्थी संख्या 1लगायत 3 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम संधारण योग्य नहीं था। इसके अतिरिक्त धारा 212 का प्रार्थना पत्र दावे के साथ पेश किया जाता है। धारा 136 भू राजस्व	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./2740/2004/नागौर</u>** **टोडाराम व अन्य बनाम बालाराम व अन्य**	

अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ अधिनियम की धारा 212 का प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं था। राजस्व अपील प्राधिकारी ने धारा 212 के प्रावधानों को समझे बिना अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में विधिक भूल की है। इसलिये राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश निरस्त योग्य है।

5– जबाब में अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 571/2 व 1048/571 के बीच में से आने जाने का मौके पर कभी कोई रास्ता नहीं रहा तथा नक्शे अनुसार भी यह रास्ता पश्चिम की तरफ खेत खसरा नम्बर 570व 1050/570 की पश्चिमी सीमा के पास जाकर समाप्त हो जाता है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 571की उत्तरी पूर्वी सीमा व दक्षिणी सीमा के पास रास्ता उपलब्ध है। इस कारण आने जाने वाले को कोई असुविधा नहीं होगी और न ही आवागमन में कोई व्यवधान उत्पन्न होता है। इसलिये अपीलीय न्यायालय ने जो आक्षेपित निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है निगरानी खारिज की जावे।

6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7– पक्षकारों के स्वत्व एवं अधिकारों का अन्तिम रूप से निस्तारण मूल वाद में साक्ष्य के द्वारा होगा। अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन,अपूर्णनीय क्षति एवं कब्जे बाबत मुख्य रूप से विचार किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका निरीक्षण रिपोर्ट से यह प्रकट होता है कि अप्रार्थीगण के खेत खसरा 571/2 व 1048/571 के बीच में से आने जाने का रास्ता नहीं है बल्कि रास्ता खसरा नम्बर 1047/572 व 1048/571 की दक्षिणी सीमा के पास से होता हुआ खसरा नम्बर 1048/571 की पश्चिमी सींव पर से आगे खसरा नम्बर 997/570 व 570 की पूर्वी सींव के सहारे सहारे उत्तर की तरफ कटाणी रास्ते में मिलता है। इसप्रकार प्रार्थी के खेत में जाने का वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। इसलिये अपीलीय न्यायालय ने तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुये जो आक्षेपित निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है जिसमें निगरानी के स्तर पर किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./2740/2004/नागौर</u>** **टोडाराम व अन्य बनाम बालाराम व अन्य**	
	सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(धूकलराम कसवाँ)** **सदस्य**	